संख्या-78/2018/2839 ई-2/तेरह-2018-107/2013

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 अगस्त,2018

विषय:-मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिकाओं के दृष्टिगत प्रदेश में अल्कोहल पर आरोपित होने वाले आयात एवं निर्यात फीस न लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-52/दो-प्रा0डी0-163/बी-हैवी मोलासेस, दिनांक 02 अगस्त,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से एथनॉल के आवागमन एवं एथनॉल पर आरोपित की जाने वाली आयात एवं निर्यात फीस न लिये जाने की अपेक्षा की जा रही है। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न आसवनियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में विकृत अल्कोहल पर आरोपित होने वाले आयात फीस एवं निर्यात फीस को अप्रभावी कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न विशेष अनुज्ञा याचिकाएं राज्य सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी हैं, लेकिन राज्य सरकार को उक्त फीस को वसूल किये जाने हेतु कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत राज्य द्वारा वर्तमान में विकृत अल्कोहल जिसमें विकृत एनहाईड्रस अल्कोहल (विकृत एथनाल) भी सम्मिलित है, पर आरोपित होने वाली आयात एवं निर्यात फीस वसूल नहीं की जा रही है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विकृत अल्कोहल पर आरोपित होने वाले आयात एवं निर्यात फीस को तब तक वसूल न किया जाय, जब तक मा0 सर्वोच्च न्यायालय से कोई अन्यथा आदेश पारित न हो।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in